संख्या-क0नि0-5-3547/11-2002-500(74)/2000 टी0सी0

प्रेषक,

ललित श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त स्टाम्प
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 22 जून,2002

विषयः- उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली के अन्तगत दिनांक 01.04.2002 को जारी रेट लिस्ट में संशोधन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बैठक दिनांक 30.05.2002 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस बैठक की कार्यवृत्त एवं रेट लिस्ट के परीक्षण के महत्वपूर्ण बिन्दु का आलेख्य संलग्न करते हु एमुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 में धारा-50(सी) को सम्मिलित कर दिया है। इस धारा के अन्तगत लेखपत्र के प्रतिफल एवं बाजार मूल्य में अन्तर पर कैपिटल गेन मांगा जायेगा एवं इस धनराशि पर आयकर का आगणन होगा। अतएव दिनांक 30.05.2002 को दिये गये निर्देश के क्रम में रेट लिस्ट में सम्यक संशोधन करने का कष्ट करें। संशोधन करने के कारण एवं आधार बैठक के कार्यवृत्त में सूचित किये गये हैं।

कृपया 31 जुलाई, 2002 तक अपने प्रस्तावों को जिलाधिकारी के विचारार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें। संशोधित रेट लिस्ट निश्चित रूप से दिनांक 01 अगस्त, 2002 से प्रभावी की जान है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय
ह0/-
(ललित श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव